न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 37/16 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. शेरसिंह

2. दयाराम

3. अमरसिंह पुत्रान किशनलाल जाति अहीर साकिन नयागांव तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांटस

बनाम

1 रतीराम पुत्र खूबराम जाति अहीर

2 गिर्राज पुत्र रतीराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम नयागांव तह0 तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:------ असल रेस्पो0

3. सावलसिंह पुत्र खूबराम

4. प्रभूदयाल पुत्र खूबराम

5. जगदीश पुत्र खूबराम

6. भूपसिंह पुत्र जगदीश

7. शकुन्तला पत्नी शक्तिसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

8. राजेशवती पत्नी सुभाष जाति अहीर निवासी नयागांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:------ तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, लक्ष्मणगढ

दिनांक 17.6.2013

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री धीरसिंह चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 18.12.2017

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, लक्ष्मणगढ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 100/2012 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.6.13 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने तहत न्यायालय में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 733/1.2900 हे0 वाके ग्राम खेडा वादी रतीराम की खातेदारी की तथा 1027/0.32 हे0 वाके ग्राम नयागांव वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की है । खसरा नम्बर 733 के पूरब व उत्तर डोल में डोल प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 732 व 731 लगती है । प्रतिवादीगण ने चालाकी से अपनी आराजी खसरा नम्बर 732 व 731

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

की गलत पैमायश हल्का पटवारी से कराकर उसके आधार पर भूमि वादीगण को दबाकर पत्थर गढी कराना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी खसरा नम्बर 733 वाके ग्राम खेडा तथा खसरा नम्बर 1027 वाके ग्राम नयागांव से कोई वास्ता नहीं है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 733 वाके ग्रम खेडा तथा 1027 वाके ग्राम नयागांव में किसी प्रकार की कोई मजाहमत ना करें और ना ही पत्थरगढ करें । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अप्रार्थी अपीलांट का कथन है कि हमने पत्थरगढी कराने का एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी, किशनगढबास के यहां प्रस्तुत किया था । पत्थरगढी के आदेश दिनांक 21.10.99 की पैमायश के आधार पर दिये थे । किन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस पर गौर पर नहीं किया । इतने वर्षों बाद प्रार्थी रेस्पो0 ने पत्थरगढी पर ऐतराज क्यों किया । पैमायश दिनांक 21.10.99 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 732 की पूर्वी डोल का तरफ दक्षिणी लम्बाई में साढे तीन गटठा तथा खसरा नम्बर 1027 का एक गटठा खसरा नम्बर 1028 व 1029 में मिला हुआ पाया गया । विद्वान तहत न्यायालय ने इस पैमायश का अवलोकन नहीं किया । ना ही इस बात की अपनी फाईंडिंग दी कि यह पैमायश गलत क्यों है ।विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह आदेश गलत दिया है कि पैमायश के आधार पर पत्थ्रगढी ना करें, जबकि इस पैमायश को आज तक प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि पैमायश रिपोर्ट गलत है । यह पटवारी हल्का से मिल्लत करके तैयार करवाई गई है । इस रिपोर्ट के आधार पर ये लोग पत्थ्रगढी करवाकर हमारी खातेदारी की भूमि को दबाना चाहते हैं । हम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं । इसलिये हमारे पक्ष में सही तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अलवर

Scanned by CamScanner

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी खसरा नम्बर 733 व 1027 के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी रेकार्डेड खातेदार हैं । अतः वे असल प्रतिवादी को अपने खसरा नम्बरान में मजाहमत न करने हेतु निषेधाज्ञा पारित कराने का विधिक हक रखते हैं । इसलिये उनके पक्ष में विद्वान तहत न्यायालय ने सही तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है । जहां तक पैमायश सम्बन्धी विवाद का प्रश्न है, तो इस सन्दर्भ में हमारा विनम्र मत है कि पुनः पैमायश/पत्थरगढी हेतु सक्षम न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र लगाया जा सकता है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2013 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner